

फर्द अहकाम

- न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्ती, जयपुर

प्रतिवादीगण

भगवान सहाय व अन्य

बहीन/रायण

बनाम

अवमान प्रार्थना अन्तर्गत आ० 39 वि० 2क सीपीसी

साराण

दिनांक 30/7/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

23.07.2021

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत 39 एल.आर.एक्ट पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06/09/2021 को पेश हो।

Nim
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बस्ती, जयपुर

पत्रावली
कार्य हे
कार्यः
पत्रावली
को पेश

के कारण
ग सजी

23/7/21

6/9/21

5/10/2021

पत्रावली आज प्रशासन गवर्नो के संज्ञा अभाग 2021 के तहत कैम्प रामरतनपुरा में पेश की। प्रार्थी प्रशासन गवर्नो उपस्थित। श्लवाद में प्राथमिक डिग्री जारी की गईं और उपरान्त प्रार्थना पत्र अस्थायी लिखे चारा के खार्जिज किया जा चुका है। अतः अब इस पत्रावली का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वापस अन्तर्गत धारा 39 विभाग 2 क. सी. पी. सी को खार्जिज किया जाता है।

पत्रावली धारण व कुमार लीकर दर्ज नम्बर से कम होने पर वापस ली जायगी। निर्णय आज दिनांक 5/10/2021 को प्रशासन गवर्नो के संज्ञा अभाग 2021 के तहत कैम्प रामरतनपुरा में सुनाया गया।

BC
उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला-जयपुर)

Handwritten signature and stamp
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सुपर पंच
भगवान सहाय रामरतनपुरा
बस्ती, जयपुर